

कार्यालय निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या: 35 / प0-2/3डी-60/श0चा0/चारा/2015-16,

दिनांक: 19/02/2016

शासनादेश संख्या-8/2016/3090/सैंतीस-2-2015-1(22)2014, दिनांक
19 फरवरी, 2016 की पृष्ठांकन प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:—

- 1— समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि शासनादेश में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें, प्रकरण में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाय।
- 2— समस्त अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि अपने अधीनस्थ मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों से शासनादेश में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 3— समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
- 4— समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
- 5— प्रमुख सचिव, पशुधन उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।



(डा0 राजेश बाबू वाष्णैय)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।

प्रेषक,

चन्द्र कान्त पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उओप्रओ शासन।

सेवा में,

✓ निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक-19 फरवरी, 2016

विषय:- प्रदेश के पशुपालकों को नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के अन्तर्गत शक्ति चालित कुट्टी काटने की मशीन (50 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान) वितरण की योजना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-487/पओ-2/3-डी-64/शओचाओचैओ/चारा, दिनांक-29.10.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के पशुपालकों को नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के अन्तर्गत शक्ति चालित कुट्टी काटने की मशीन (50 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान) वितरण की योजना पर निम्नवत निर्णय लेते हुए स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- 1- योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित की जायेगी। योजना में शक्ति चालित कुट्टी काटने की मशीन का मूल्य ₹0-20,000.00 निर्धारित है। योजनान्तर्गत लाभार्थी को मशीन की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा ₹0-10,000.00, जो भी कम हो, अनुदान दिया जायेगा। मशीन का शेष मूल्य लाभार्थी द्वारा वहन किया जायेगा। अनुदान की धनराशि लाभार्थी को बैंक खाते के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। इस योजना का लाभ लाभार्थी को एक ही बार अनुमन्य कराया जायेगा।
 - 2- जनपद के ऐसे पशुपालक का चयन लाभार्थी के रूप में किया जायेगा जोकि कम से कम 05 बड़े दुधारू पशु पालता हो। योजनान्तर्गत लघु/सीमान्त पशुपालकों का ही चयन किया जायेगा। प्रदेश के अल्पसंख्यकों को शासनादेशानुसार आरक्षण उपलब्ध कराया जायेगा। प्रत्येक जनपद के विकास खण्डों के अनुपात में योजनान्तर्गत निदेशक, पशुपालन विभाग के स्तर से लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा।
 - 3- दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से योजना का प्रचार-प्रसार करते हुए लाभार्थियों के चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। प्राप्त आवेदन पत्र को मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय पर प्राप्त किया जायेगा, जिसका पर्यवेक्षण मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी अथवा नामित प्रतिनिधि करेंगे तथा प्राप्ति रसीद (दिनांक व समय सहित) आवेदक को प्राप्त करायेंगे। लाभार्थियों का चयन जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें जिला कृषि अधिकारी सदस्य एवं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी सदस्य/सचिव होंगे, के माध्यम से किया जायेगा। उक्त समिति यथासम्भव प्रत्येक विकासखण्ड का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करायेंगी।
- योजना में प्रत्येक जनपद के 8 अथवा 9 लाभार्थियों को लाभान्वित कराया जायेगा। योजना के प्रथम चरण में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि से 628 लाभार्थियों को लाभान्वित कराया जायेगा।

- 5- योजना में शक्ति चालित कुट्टी काटने की मशीन का मूल्य ₹0-20,000.00 निर्धारित है।
योजनान्तर्गत ₹0-10,000.00 अथवा मशीन के वास्तविक मूल्य का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो,
लाभार्थी को बैंक खाते के माध्यम से स्थलीय भौतिक सत्यापन के उपरान्त उपलब्ध कराया जायेगा।
योजनान्तर्गत कुल 628 शक्ति चालित कुट्टी मशीनों का वितरण करने पर ₹0-62,80,000.00 (रूपये
बासठ लाख अस्सी हजार मात्र) का व्यय अनुमानित है।
- 2- कृपया प्रश्नगत योजना के सुचारु रूप से संचालन हेतु उपरोक्तानुसार अग्रेतर अपेक्षित कार्यवाही अपने
स्तर से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(चन्द्र कान्त पाण्डेय)
विशेष सचिव।

पू0सं0-8/2016/3090(1)/सैंतीस-2-2015- तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त/नियोजन/कृषि विभाग।
4. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ०प्र० पशुधन विकास परिषद, लखनऊ।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(रणविजय सिंह)
उप सचिव।